POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2019/अंक 10

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अक्टूबर, 2019 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! 'इस बार दो अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जयंती मनाएंगे तो इस अवसर पर हम सभी उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे बल्कि इस दिन से पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आन्दोलन की नींव रखेंगे।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के सभी वर्गों से, हर गांव, कस्बे और शहर के निवासियों से यह अपील करते हुए आग्रह किया है कि इस वर्ष गांधी जयंती से प्लास्टिक कचरे के खिलाफ स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर देश को 'सिंगल यूज प्लास्टिक' यानी एक बार ही इस्तेमाल किए जाने वाली प्लास्टिक को समाप्त करने की दिशा में काम करें।

प्लास्टिक कचरे से हमारे पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और समस्त जीव-जंतुओं को पंहुच रहे भारी नुकसान से हम सभी परिचित हैं। हमारे देश में हर साल करीब 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। जिसमें से करीब 9205 टन प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाता है।

पीएम मोदी की साल 2022 तक देश को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने की योजना है। इसके तहत प्लास्टिक बैग, कप, प्लेट, छोटी बोतल जैसे प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों को पत्र लिखकर विकल्प तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।

प्लास्टिक कचरे से निजात के लिए प्रदेश के गांवों में पंचायत स्तर पर स्कूलों, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बड़े स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

भारी पड़ सकती है ट्रैफिक नियमों की अनदेखी

सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर लगने के बाद मोदी सरकार ने एक सितंबर से इसे लागू कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि विधेयक के 63 उपबंधों को एक सितंबर से लागू कर दिया गया है। अगर किसी ने नियमों की अनदेखी की, तो उसे ज्यादा जुर्माना देना होगा। क्योंकि, इसमें विभिन्न चालान की राशि को बढ़ा दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि नए नियमों से सड़क हादसों में कमी आएगी।

यातायात के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना	
शराब पीकर गाड़ी चलाना	10,000 रु.
बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाना	5,000 रु.
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना	5,000 रु.
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर	1,000 रु.
सीमा से अधिक स्पीड से गाड़ी चलाने पर	1,000 से 2,000 रु. तक
मोबाइल पर बात करने पर	5,000 रु.
हेलमेट नहीं पहनने पर	1,000 रु.
लाल लाइट क्रास करने पर	500 रु.

गडकरी ने कहा कि सरकार ने अगले पांच साल में सड़क हादसों में पचास फीसदी कमी लाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सरकार 14 हजार करोड़ रुपए का मेगा प्लान तैयार कर रही है। जुर्माना बढ़ाने का फैसला काफी समझ-बूझकर और विभिन्न पक्षों से राय लेकर लागू किया गया है। इसके कुछ प्रोविजन पर राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से इन नियमों में बदलाव कर सकते हैं और कुछ मामलों में जुर्माने की राशि भी एक सीमा तक कम या ज्यादा कर सकते हैं।

आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया 33 लाख रुपए का हर्जाना

जयपुर निवासी दशरथ सिंह ने आईसीआईसीआई बैंक की सी-स्कीम शाखा एवं बैंक कर्मचारी नितिन कुमार के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग की बैंच-2 में परिवाद पेश किया। परिवाद में बताया गया कि उन्होंने 16 मार्च 2011 को बैंक में अपने खाते में 27 लाख रुपए जमा कराए थे। सेल्स मैनेजर नितिन कुमार ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके नाम से दूसरा खाता खुलवाया और उनके खाते से 28 लाख रुपए निकाल लिए। उन्होंने बैंक में इसकी शिकायत की और जमा राशि लौटाने के लिए कहा। लेकिन बैंक द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जमा राशि का बैंक कर्मचारी द्वारा गबन करने के कारण वह अपने व्यवसाय में इस राशि का उपयोग नहीं कर पाए। इससे उन्हें व्यवसाय में काफी नुकसान हुआ। उन्होंने परिवाद में आयोग से प्रार्थना की कि उन्हें 28 लाख रुपए मय ब्याज व हर्जाने सहित दिलवाए जाएं।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक और कर्मचारी नितिन कुमार को फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी कर परिवादी की जमा राशि का गबन करने का दोषी माना। उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक और दोषी कर्मचारी पर 33 लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए आदेश दिया कि हर्जाना राशि पर ब्याज भी अदा किया जाए।

स्वच्छ भारत की तर्ज पर जल निधि कोष

नवनिर्मित जलशक्ति मंत्रालय मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' के तहत 2024 तक हर ग्रामीण भारतीय के घर तक पाइप

के जरिए प्रति व्यक्ति रोजाना 55 लीटर पानी पहुंचाने की तैयारी में लगा है। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान के 'स्वच्छ भारत कोष' की तर्ज पर 'राष्ट्रीय जल जीवन कोष' बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जल जीवन मिशन का ऐलान करते हुए कहा था कि इस पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने की योजना है। मंत्रालय के अधिकारी 'नाल से जल' (नलों से पानी पहुंचाना) के तौर तरीकों को अंतिम रूप दे रहे हैं, जो घरों में पीने योग्य पानी मुहैया कराने पर जोर देता है।

सरकार ने खोला विधायकों का 'खजाना'

सरकार ने विधायक कोष के खजाने की 'पोटली' खोल दी है। विधायक कोष के पेटे 225 करोड़ रुपए की राशि जिलों के लिए जारी की गई है। यह वह राशि है जिसके जरिए विधायक जनता से जुड़े विकास कार्यों के लिए सीधी सिफारिश कर सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने जिला परिषदों के खातों में यह राशि स्थानांतरित कर विधायकों की अनुशंषा के अनुरूप इस राशि के उपयोग के निर्देश दिए हैं।

पिछले काफी समय से नव निर्वाचित विधायक इस राशि को जारी करने की मांग कर रहे थे। जब पिछले नौ माह से यह राशि जारी नहीं हुई तो विपक्ष ने भी विधानसभा के बाहर इसे मुद्दा बना लिया था। कहा जा रहा है कि सरकार ने अब निकाय और पंचायत चुनावों के लाभ को देखते हुए यह राशि जारी की है।

जनजाति क्षेत्रों में पहुंचे विकास का लाभ

राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजाति विकास विभाग को निर्देश दिया है कि जनजाति क्षेत्रों में विकास के लिए आवंटित बजट की 75 प्रतिशत राशि वित्तीय वर्ष के दिसम्बर माह तक उपयोग में आ जानी चाहिए। कार्यों की गुणवत्ता और विकास का लाभ जनजाति क्षेत्रों को भरपूर मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि बजट का समुचित उपयोग समय पर किया जाए।

उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) एवं पांचवीं अनुसूची में राज्यपाल को विशिष्ट शक्तियां दी गई है। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रों में लोगों की चिकित्सा व शिक्षा की उत्तम व्यवस्थाएं की जाए।

लुभा रही: 'किसान सम्मान निधि योजना'

प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लुभा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक लाभ लेने के इच्छुक किसानों की संख्या राज्य के कर्जदार किसानों से भी ज्यादा है। इस योजना के तहत अब तक आए आवेदनों से यह सच सामने आया है। इस योजना में प्रदेश के 60 लाख 78 हजार किसान अब तक आवेदन कर चुके हैं और यह क्रम अभी जारी है।

इस योजना की पात्रता के नियम काफी सरल है। योजना के तहत किसानों को एक साल में 6 हजार रुपए देना तय है। यह सहायता 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में मिलेगी। प्रदेश में जिसके नाम की कृषि भूमि है वह इस योजना का पात्र है। पहले लघु और सीमांत किसान ही आवेदन कर सकते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद यह बंधन भी हटा दिया है।

किशोरों के स्वास्थ्य पर निवेश जरूरी

राजस्थान में 10 से 19 वर्ष के किशोरों की आबादी 1 करोड़ 57 लाख है। यह संख्या राजस्थान की कुल आबादी का 23 प्रतिशत है। इसके अनुसार हर चौथा राजस्थानी किशोर है। इस परिदृश्य में सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कार्यशील आबादी स्वस्थ और साक्षर हो तथा उसके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन हों।

सरकार की पहल और घोषणापत्रों में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन के प्रति कटिबद्धता दिखने लगी है। लेकिन इन प्रयासों के अपेक्षित परिणाम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि किशोरों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता न दी जाए।

भावी पीढ़ी स्वस्थ होगी तो उसमें तीव्र आर्थिक विकास की संभावना को साकार करने का सामर्थ्य होगा। स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कमी आएगी और स्वस्थ, समावेशी व उत्पादक कार्यबल संभव होगा।

मुद्दे की गम्भीरता को देखते हुए 'कट्स' और पी.एफ.आई. मिलकर राजस्थान में किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने का साझा प्रयास कर रहा है।

अब जन सूचना पोर्टल पर सब मौजूद

आरटीआई के तहत जनता को सूचना नहीं मांगनी पड़े, इसके लिए सिविल सोसायटी व आइटी विभाग की दो साल की मेहनत के बाद डिजिटल पोर्टल 'जन सूचना' बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी देते हुए इस पोर्टल की शुरुआत की।

उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पब्लिक डिलीवरी वाले सभी विभागों की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। शुरुआत 13 विभागों और 23 योजनाओं से की गई है। इनमें राशन, निःशुल्क दवा योजना, कर्ज माफी, अल्पकालीन ऋण, शाला दर्पण, खनन आवंटन से जुड़ी जानकारी हर लाभार्थी ले सकेगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक को कहे अलविदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि क्षरण मसले पर दुनिया में कई कदम उठाने को तैयार है। भारत सिंगल यूज (एक बार इस्तेमाल कर फेंकने वाली) प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने की ओर बढ़ चुका है और अगले कुछ वर्षों में इससे पूरी तरह छुटकारा पा लेगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है पूरी दुनिया भी इसे अलविदा कर दे।

प्रधानमंत्री ने यह बात नोएडा के एक्सपो में आयोजित मरुस्थलीकरण रोकथाम पर संयुक्तराष्ट्र सम्मेलन के सदस्य देशों (कॉप-14) की बैठक में कही। उन्होंने ऐलान किया कि भारत 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाएगा।

राजस्थान को हरा-भरा बनाएं : गहलोत

हमारी इच्छा राजस्थान को हरा-भरा बनाने की है। इसके लिए वन विभाग को बड़े स्तर पर काम करने होंगे। यह बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 70वें वन महोत्सव में कही। उन्होंने पर्यावरण पर चिंता जताते हुए कहा कि 20 साल पहले भी पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर मैंने हरित राजस्थान की बात की थी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनों का जितना ऐरिया होना चाहिए, उसका आधा भी नहीं है। पेड़ लगाना एक बात है, लेकिन उनको बचाकर बड़ा करना बड़ी बात है। वन होंगे तो ही अच्छी बरसात होगी। फसलें अच्छी होंगी जिससे खुशहाली आएगी।

इस अवसर पर उन्होंने इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया और बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट जैसा सफल कार्यक्रम शुरू किया।

खातों में पड़ा रह गया विकास का पैसा

प्रदेश में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को दी जाने वाली ग्रांट का पूरा पैसा खर्च ही नहीं हुआ। स्थानीय निकायों में पिछले वर्ष जमा 1652 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो सके। वहीं जिला परिषदों में 1872 करोड़ रुपए और पंचायत समितियों में करीब 1450 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए।

प्रदेश के दौरे पर आए 15वें वित्त आयोग की ओर से अर्थशास्त्रियों, उपभोक्ता संगठनों, पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह स्थिति सामने आई। विकास कार्यों पर खर्च होने वाली इस राशि का उपयोग नहीं होने पर वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह और आयोग के सदस्यों ने चिंता जाहिर की।

बिना मिट्टी के उगाए गोभी खीरा टमाटर..

झालावाड़ के उद्यानिकी एवं वानिक कॉलेज में बिना मिट्टी की खेती का सफल प्रयोग किया गया है। यहां टमाटर, गोभी, खीरा, तुलसी, पालक, धनिया, बैंगन और पत्ती वाली सब्जियों सहित अन्य किस्मों को बिना मिट्टी के उगाया गया है। इनमें अब फ्रुटिंग और पत्तियां आने लग गई है।

अब यह तकनीक सीधे किसानों के खेतों तक पहुंच सकेगी। प्रदेश में यह पहला मामला है, जब बिना मिट्टी के खेती हो रही है। इसमें पानी की भी काफी बचत होती है। कॉलेज का मकसद है कि किसान नई तकनीक से रूबरू होकर हाईड्रोपोनिक खेती कर बेहतर लाभ प्राप्त कर सकें। कॉलेज के डीन डॉ. आईबी मोर्या ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है।

विद्युत दरों के संशोधन में उपभोक्ताओं की भूमिका

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) को विद्युत दरों के निर्धारण की जिम्मेदारी दी गई है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राजस्थान की विद्युत वितरण कंपनियां दरों में संशोधन के लिए विनियामक आयोग के समक्ष याचिका (टैरिफ पेटिशन) प्रस्तुत कराती है। इन टैरिफ याचिकाओं में विद्युत क्रय-विक्रय, लागत, आवश्यक समग्र राजस्व और प्रस्तावित विद्युत दर जैसे आंकड़ों का वर्णन रहता है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्युत वितरण कंपनियों को संशोधन याचिका के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित करना अनिवार्य है।

विद्युत उपभोक्ता तथा उपभोक्ता संगठन याचिका के संबंध में अपनी टिप्पणियां विनियामक आयोग में दर्ज करा सकते हैं। टिप्पणियों के अनुसार टैरिफ याचिका में संशोधन के बाद विद्युत विनियामक आयोग जन सुनवाई का भी आयोजन करता है जिसमें विद्युत उपभोक्ता और उपभोक्ता संगठन उपस्थित होकर अपने सुझाव और आपत्तियों को दर्ज करा सकते हैं। इसी परिपेक्ष्य में हाल ही में जयपुर, अजमेर और जोधपुर वितरण कंपनियों ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष टैरिफ संशोधन याचिका प्रस्तुत की है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर